कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक : रीडर/16/129 दिनांक :- 7.6.2024

संशोधित आदेश

(अन्तर्गत शर्त 8 (1) राज. उपनिवेशन/सामान्य शर्ते 1955)

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 763 दिनांक 29.04.2022 द्वारा चक 4 आरटीपी खाला बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश या विवाद आदि नहीं है तो वर्तमान में मौका पर चल रहे मन्जूर शुद्धा खाला हल्का तहसीलदार संगरिया/अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम विभाग हनुमानगढ़ की रिपोर्ट मुताबिक प्रभावित किलो मे गैरमुमकिन खाला 0.034 है. दर्ज रिकार्ड कर अवशेष किलो में अनुपातिकरूप से .1095+.1095 को पृथक–पृथक बटानम्बर किला वाईज नामान्तरण दर्ज किये जाने तथा शेष जिन किलो के कोर्नर मे से गैर मुमकिन खाला निकलता है उनमें 0.002 है. रकबा गैर मुमकिन खाला दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया गया था।

उक्त आदेश के संबंध में श्री महेन्द्र सिह भादू पुत्र श्री मोदीराम भादू जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ने अन्तर्गत धारा 47 नियम 1 संपठित धारा 151 व्य.प्र.स के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ के समक्ष चक 4 आरटीपी की खाल की कार्यवाही लम्बित होने के तथ्य को छुपाकर उक्त आदेश पारित करवाने एवं प्रभावित पक्षकारों को बिना सुने ही विधि विरूद्ध आदेश पारित करने का कथन करते हुए अपना विरोध प्रकट कर उक्त आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

अतः उक्त विरोध/तथ्यों के आधार चक 4 आरटीपी के पत्थर नम्बर 185/185 से पत्थर नम्बर 184/185 तक एक मुरब्बा व पत्थर नम्बर 184/185 से 181/188 तक तीन मुरब्बा कुतरी खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज आदेश दिनांक 29.04.2022 को प्रत्याहारित किया जाता है साथ ही सक्षम स्तर से कोई आगामी आदेश जारी होने तक प्रार्थी को उक्त खाला में किसी प्रकार की क्षति कारित नही करने हेतु भी पावन्द किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया
दिनांक

क्रमांक :– सम/130
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार भू–अभिलेख संगरिया को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कर तत्काल रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़।
3. श्री महेन्द्र सिह भादू पुत्र श्री मोदीराम भादू जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.18 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested